

- (लचीला) सुपरिचरणीय संविधान - Flexible Constitution
- (कठोर) अद्वैतवादी संविधान - Rigid Constitution

- अ परिचय - लचीले
- * कठोर एवं लचीले संविधान के अंतर
- * लचीले संविधान में गुण-दोष
- * परिचय - कठोर
- * कठोर संविधान के गुण-दोष
- * निष्कर्ष

लचीला संविधान : यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच कोई अंतर न हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके, तो संविधान को लचीला या सुपरिचरणीय कहा जाता है। 1500 सालों के अर्थों में, लचीला संविधान वह है जिसकी व्यापकता बहुत ही अधिक प्रकृत एवं अनंत नहीं है और जो सामान्य कानून की प्राप्ति की बदलाव जा सकता है, चाहे वह प्रीलेटोर परमंत्रों के रूप में हो।

इंग्लैंड में संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा संसद पर चलने के नियमों का महा-निर्देश के निर्माण में परिवर्तन करी है। विलकुल उदाहरण के आधार पर संवैधानिक कानून में परिवर्तन कर सकती है। इसी कारण इंग्लैंड के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है।

कठोर संविधान : ये वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक कानून (अ) कानून में मौलिक भेद धरता जाना है जिनमें संवैधानिक कानून में संशोधन प्रक्रिया व्यापक कानून निर्माण की प्रक्रिया से निकल आती है।

गर्नर के शब्दों में, "जो निकाय और संरचना होता है और यह में व्यापक कानून के लिए दृष्टि से पूरी रूप है। इसका संशोधन की किसी भी प्रकार से होना है।" इटालियन USA का संविधान। USA का संविधान सामान्य कानून की निर्माण व्यापक कानून से ही शुरू है। लेकिन संविधान में संशोधन के लिए अगली कड़ी में दो-तिरई प्रक्रम के साथ-साथ तीन नौ बार्ड कानूनों की व्यवस्थाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है। भारतीय संविधान को कठोर संविधान का अर्थ है।

कठोर एवं लचीले संविधान में अंतर : कठोर एवं लचीले संविधान में निम्न अंतर हैं :-

- 1) संशोधन प्रक्रिया में अंतर : लचीले संविधानों में व्यवस्थाओं को संविधान संशोधन प्रक्रिया होता है और सामान्य कानून प्रक्रिया द्वारा ही संविधान में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन कठोर संविधानों में संवैधानिक संशोधन का अर्थ अलग-अलग संरचना का प्राप्ति होता है या संसद सामान्य कानून प्रक्रिया से निकल निर्देश प्रक्रिया से संशोधन कर सकती है।

- (1) संविधान एक निर्मित क्षेत्र है। इसी और साम्यवाद के क्षेत्रों का परिणाम रहा है। मूल्यों और आदर्शों का यह विचार परंपराओं, संस्थाओं और वास्तविक संदर्भों में विश्वास से कारण होता है।
- (ii) प्रथम: हर समाज का एक लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति की आवश्यकता ही संविधानवाद है। संविधान वास्तविक रूप से तब तक संविधानवाद वास्तविक है।
- (iv) संविधानवाद अनेक देशों में एक जैसा ही रहा है। संरक्षित, प्रत्यक्ष विचारों और राजनीतिक आदर्श एक जैसा ही रहता है। संविधानवाद की पहचान के वास्तविक हर देश का संविधान भिन्न-भिन्न होता है।
- (v) संविधान का मौलिक विधि के आधार पर विश्व विभाजित है। अनेक संविधानवाद में आदर्शों के मौलिक के प्रतिपादन मुख्यतः विचारों पर होता है।

संविधानवाद के विशेषताएं

(Characteristics of Constitutionalism)

- संविधानवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-
- 1) संविधानवाद मूल्य मानक प्रवर्धक है। संविधानवाद का संबंध राष्ट्र के जीवन कर्षण से है। यह उन मूल्यों, विचारों, राजनीतिक आदर्शों को और संरक्षित करता है जो राष्ट्र के हर नागरिक से प्राप्त हैं, जो हर राष्ट्र का जीवन आधार होते हैं।
 - 2) संविधानवाद संरक्षित अवधारणा है; संविधानवाद की धारणा हर जगह व स्थान विशेष की संरक्षित से संबंध पायी जाती है। हर देश के आदर्श, मूल्यों की विचारधारणें उल्लेख की संरक्षित की ही उस होते हैं।
 - 3) संविधानवाद अत्यात्मक अवधारणा है; संविधानवाद की विशेषता यह है कि इसमें स्वातंत्र्य के साथ ही धर्म अत्यात्मकता भी पायी जाती है। यही कारण है कि यह प्रगति में बाधक नहीं, प्रगति का साधक बना रहता है। इसकी अभिवृद्धि प्रकृति प्रति आवश्यक है, क्योंकि समय परिवर्तन में धर्म मूल्यों में परिवर्तन भ्रम है तथा संरक्षित विकसित होती है।
 - 4) संविधानवाद वास्तविक संबंधित अवधारणा है; संविधानवाद मूल्य आदर्शों से संबंधित अवधारणा है, किंतु यह वास्तवों की पूर्णता अवहेलना नहीं कर सकता। फिर भी संविधानवाद के लिए लोक्यों का ही अर्थ है। इस प्रकार जब संविधानवाद वास्तविक अवधारणा है तो उल्लेख अन्य आदर्शों से है जिन्हें समाज-वास्तव के रूप में स्वीकार करता है।
 - 5) संविधानवाद संविधान पर आधारित है; समाज परिस्थितियों में हर लोकतांत्रिक राजनीतिक समाज की मूल्यों और अभिवृद्धियों का संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। ऐसे संविधान पर ही संविधानवाद आधारित रहता है।

संविधानवाद और ब्रिटेन
(Constitutionalism and Britain)

ब्रिटेन संविधानिक अधिक विकास का पहिला है।

इसका निर्माण किसी संविधान द्वारा न वही किया वरन् सामाजिक चेतना की दृष्टि से स्वयं-व्यय द्वारा विकास हुआ। ब्रिटेन का संविधान का दूर-दूर विकास तब तक ही सीमा तक हुआ है। इसी तरह अरबों पुष्पों के विकास में अभी तक है। इसके विकास में काफी धरी है कि ब्रिटेन का राजतंत्र को आरंभ हुआ है। इसके वैधानिक वास्तविक रूप में शासन का किया गया है। भारत का सिद्ध है कि "इंग्लैंड में राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रस्ताव-विशेष राष्ट्रपति द्वारा उच्च राजमार्ग पर निर्णय दिए हैं जो अंग्रेजों में 1300 या 1400 वर्ष तक की लम्बाई में फैला हुआ है।" भारत में विकास ब्रिटेन संविधान की एक मजबूती विशेषता है। इसके विकास पर परिकल्पना नहीं है कि उच्च विकास वर्तमान वही है जो नीचे पर प्रकाश रहा है।

ब्रिटेन संविधानिक विभिन्न-रूपों का पहिला रूप है - एंग्लो सैक्स, नार्मन सैक्स, लैंगोस्ट्रोन वगैरों का सैक्स, स्टुअर्ट सैक्स और रैनोवर काल। सभी भागों के विकास से संविधान का विकास हुआ। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति, स्थानीय स्वशासन महान संविधानिक, संघ का अर्थ, उपाधिकार अधिकार और राजनीतिक दलों का अर्थ आदि संविधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका आता है।

संविधानवाद और संयुक्त राज्य अमेरिका

अमेरिकी संविधान के विकास पर वहाँ की भौतिक परिस्थितियों, सामाजिक जीवन की परंपराओं तथा आर्थिक, राजनीतिक तत्वों का गंभीर प्रभाव पड़ा है। विदेशी आक्रमणों से अमेरिकी संघ संयुक्त रहा। प्राथमिक संयुक्तों की प्रकृति से आर्थिक संयुक्तों द्वारा तथा निष्काण तत्वों के कारण संयुक्तों की दृष्टि से उसे प्राप्त निर्णय बन गया। इसके राजनीतिक विचारों का भागी और प्राप्त विचार का अवसर तब तक विकास होता गया। वहाँ तथा पेरुसोन में लिखा है, "दूसरी जन सरकार पिछली अन्वेषकों के विभिन्न प्रयोगों का परिणाम है जो मजबूत के वजन एवं इसके विकास में निष्काण का ही है।"

सन् 1787 में कोलम्बस ने अमेरिका के पहिली तत्व का अन्वेषण किया। उन दिनों वहाँ भारतीय आदिम-जनता का विकास था। इंग्लैंड व यूरोप के देशों से लोग वहाँ आकर पहले लोका और अल्गा-अल्गा उपनिवेशों का निर्माण करने लगे। सन् 1690 में अमेरिकी की जनसंख्या 2/2 लाख तक पहुँचकर सन् 1775 में 25 लाख हो गई।

अमेरिका में एक नयी वर्णसंकर संस्था का उदय हुआ। अमेरिकी इंडियनों का संगम-स्थल बन गया।

